महत्वपूर्ण एवं खास

चावल, रोटी और चटनी खाकर 3 लोग बीमार

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घर में बना चावल, रोटी और चटनी खाकर 3 लोग बीमार हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों एक ही परिवार के हैं। बताया गया कि सभी लोगों ने सुबह एक साथ बैठकर खाना खाया था। अचानक दोपहर में पेट दर्द करने लगा, फिर उल्टी भी शुरू हो गई। हालत बिगड़ता देख सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला उरगा थाना के पटियापाली गांव का है। जानकारी के मुताबिक पटियापाली निवासी गणेश दास ने शुक्रवार को सुबह अपने दोनों बेटी शुभम्‌ क्रांति और पत्नी तिलेश्वरी के साथ बैठकर खाना खाया था। गणेश सुबह मजदूरी के लिए निकलने वाला था। इसलिए सब ने साथ में ही सुबह भोजन किया था। गणेश खाना खाकर खेत चला गया था। इसी बीच दोपहर में उसे पेट दर्द शुरू हो गया है और उल्टी भी होने लगी। इसके बाद वह घर आ गया। इधर, घर पहुंचते ही पता चला कि शुभम और क्रांति का भी पेट दर्द कर रहा है और उल्टी हो रही है। सभी ने पहले घर पर ही घरेलू उपचार करने कोशिश किया, पर इससे कोई राहत नहीं मिली।

मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23 वीं कड़ी का प्रसारण 14 नवम्बर को

कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23 वीं कड़ी का प्रसारण 14 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार उद्यमिता और जनसशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल पर बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े 10 बजे से 11 बजे तक होगा।

ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत

कोरबा। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार बेटे की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रुप से घायल हो गई। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला कायम किया है। घटना दीपका थाना अंतर्गत दीपका बेरियर चौक के पास घटित हुई। बताया जा रहा है कि एक ठेका कंपनी में कार्यरत सुनील व घरों में काम करने वाली उसकी मां चंद्रिका बाई काम खत्म होने के बाद बाइक में वापस घर लौट रहे थे, तभी बेरियर के पास एक ट्रक चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चालन कर उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रुप से घायल बेटे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। राहगीरों ने घायल चंद्रिका बाई को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा उपरांत शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया।

सरिया चोरी की रिपोर्ट

कोरबा। शहर के एक मिनीमाता कॉलेज के पीछे निर्माणधीन सामुदायिक भवन के रखे निर्माण सामग्री में से करीब 50 हजार रुपए कीमत का सरिया चोरों ने पार कर दिया। पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत मिनीमाता कॉलेज के पीछे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा हैए जहां निर्माण सामग्री ईंट्स सीमेंट, गिट्टी, रेत व लोहे का सरिया रखा था। इसमें से 8 क्विंटल कीमती करीब 50 हजार रुपए का सरिया 23-24 अक्टूबर की दरम्यानी रात चोरी हो गई। अगले दिन निर्माण स्थल पर पहुंचे ठेकेदार बालको निवासी पीव्ही कृष्णा को सरिया चोरी होने का पता चला। अपने स्तर पर पता-तलाश करने के बाद गुरुवार को ठेकेदार ने मानिकपुर चौकी पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई।

इलेक्ट्रिक फ्लैश से एसईसीएल कर्मचारी झुलसा

कोरबा। एसईसीएल दीपका प्रोजेक्ट के रेकी.सब स्टेशन में पदस्थ एक इलेक्ट्रिशियन सब.स्टेशन में ही हादसे का शिकार हो गया। घटना में इलेक्ट्रिक फ्लैश होने से एसईसीएल कर्मचारी का हाथ व चेहरा का हिस्सा झुलस गया। सह कर्मियों ने उसे गेवरा एमसीएच में भर्ती करवायए जहां से अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया। घटना में आहत कर्मी का नाम 48 वर्षीय संतोष द्विवेदी है, जो एसईसीएल दीपका प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी.6 पद पर कार्यरत है। वह प्रगति नगर कॉलोनी में रहता है। रात 7ः30 से 8 बजे के बीच फेरमैन कन्हैया कुर्रे बिजली सप्लाई बंद करने शट.डाउन लेने सब.स्टेशन आया था। प्रक्रिया के लिए संतोष ने जैसे ही पैनल का दरवाजा खोला, उसमें से यूनिट को बाहर खींच रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ और पैनल की तरफ से इलेक्ट्रिक चिंगारी कर्मचारी की तरफ फ्लैश हुआ।

हसदेव अरण्यः जल, जंगल, जमीन बचाने एक दशक से जूझ रहे वनवासी

कोरबा। छत्तीसगढ़ के वनवासी बाहुल्य कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए एक दशक लम्बा संघर्ष समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। यहां के वनवासी कोयला उत्खनन के लिए जैव-विविधता से परिपूर्ण सघन वनों, जीवन दायिनी जल स्त्रोत और अपने पुरखों के खून-पसीने से सींच कर तैयार किये उर्वर जमीन के संरक्षण के लिए संघर्षरत हैं। इस लम्बी लड़ाई में उन्हें हाल ही में बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में समाहित कोरबा जिले के 14 कोल ब्लाक को उत्खनन क्षेत्र की परिधि से बाहर कर दिया है और 1995.48 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एलीफेन्ट रिजर्व स्थापना की घोषणा की है। लेकिन हसदेव अरण्य के सरगुजा के 09 कोल ब्लाक अभी

खनन क्षेत्र में शामिल हैं। इसके अलावे 07 नये कोल ब्लाक और चिन्हांकित किये गये हैं। इस तरह हसदेव अरण्य के वनवासियों को मिली सफलता अभी अधूरी है और उनकी मंजिल अभी भी कोसों दूर है।

छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य, दक्षिण सरगुजा, सूरजपुर जिला और उत्तरी कोरबा जिला में अवस्थित है। हसदेव नदी पर मिनीमाता बांगो बांध का निर्माण किया गया है। बांध का कैचमेंट एरिया हसदेव अरण्य ही है। बांगो बांध से जहां कोरबा, जांजगीर-चाम्पा और रायगढ़ जिले में विस्तृत भू-भाग की कृषि भूमि की सिंचाई होती है, वहीं लगभग 10,000 (दस हजार) मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत गृहों सहित लाखों नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। हसदेव अरण्य जंगली हाथियों का रहवास और विचरण क्षेत्र भी है। इसके सिवा इस क्षेत्र में दूसरे वन्य प्राणी और औषधीय पेड़-पौधों की भी प्रचूरता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि हसदेव अरण्य के भू-गर्भ में बड़ी मात्रा में कोयला का भण्डार है, जो वर्तमान तक ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत बना हुआ है। हसदेव अरण्य के समृद्ध वन का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष -2010 में केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे नो गो एरिया घोषित किया था।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार करीब 30 वर्ष पहले हसदेव अरण्य में 23 कोल ब्लाक की खोज की गयी थी। इनमें 14 कोल ब्लाक कोरबा जिला और 09 कोल ब्लाक सरगुजा एवं सूरजपुर जिले में हैं। इससे पहले कोरबा जिले का चोटिया कोल ब्लाक प्रकाश इण्डस्ट्रीज, जांजगीर-चाम्पा को आबंटित किया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर तीन वर्ष पहले भारत एल्युमिनियम कंपनी (बालको) कोरबा को दिया गया है। इसके अलावे राजस्थान सरकार को 05 और छत्तीसगढ़ एवं आंध्रप्रदेश सरकार को एक-एक कोल ब्लाक का आबंटन किया गया है। पूर्व से आबंटित 07 कोल ब्लाक में परसा ईस्ट और केते बासन से राजस्थान सरकार कोयला उत्खनन कर रही है। चोटिया कोल ब्लाक से भी पूर्व से उत्खनन की जा रही है। मगर परसा और केते विस्तार (राजस्थान), मदनपुर साऊथ (आंध्रप्रदेश) और पतुरिया डांड़-गिद्धमुड़ी (छत्तीसगढ़) में कोयला उत्खनन आरंभ नहीं हुआ है। इसमें परसा कोल ब्लाक से कोयला उत्खनन की अनुमति अक्टूबर-2021 में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त मंत्रालय ने जारी की है।

हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लाक आबंटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्र के वनवासियों ने जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए कोयला उत्खनन का विरोध आरंभ कर दिया। वर्ष 2010 से लेकर अब तक हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के बेनर तले शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है। इस दौरान राज्य और केन्द्र शासन के स्तर पर अनेक प्रयास किये गये। वनवासियों के आन्दोलन का ही परिणाम था कि जून-2015 में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस की पूरी टीम के साथ मदनपुर गांव पहुंचे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से हसदेव अरण्य की रक्षा करने की घोषणा की। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने हसदेव अरण्य बचाओ आन्दोलन का समर्थन किया और प्रदेश में सरकार बनने पर इस क्षेत्र में कोयला उत्खनन की अनुमति नहीं देने का वायदा किया।

छेड़खानी कर रहे युवक को युवती ने थप्पड़ मारे

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार शाम बीच सड़क पर जमकर थप्पड़ चले। युवती ने एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। इस दौरान दोस्त को पिटता देख दूसरा युवक मौका देख वहां से भाग निकला। दोनों युवक शराब के नशे में धुत होकर युवती से छेड़खानी कर रहे थे। तभी लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान उसे थाने ले जाने लगे, लेकिन वह भी भाग निकला। फिलहाल मामले में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है। मामला रामपुर चौकी क्षेत्र का है।

दरअसल घंटाघर के पास स्थित चौपाटी पर शुक्रवार शाम को काफी भीड़ थी। इसी दौरान नशे में धुत दो युवक पहुंचे और वहां एक लड़की से छेड़खानी करने लगे। इस पर लड़की ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। युवती ने भी लड़के को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। लड़के को पिटता देख, उसका दोस्त भाग निकला। इसके बाद लोग लड़के को थाने ले जाने लगेए लेकिन मौका देख वह भी भाग निकला।

थाने ले जाने से पहले मारपीट के दौरान लोगों ने लड़के से पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम दीपेश है और वह बिलासपुर में रहकर पढ़ाई करता है। उसके पिता एसईसीएल कर्मचारी हैं। हालांकि लड़का कोरबा में क्या करने आया था इस बारे में नहीं पता चल सका है। उसके साथी का भी नाम नहीं सामने आया। युवती ने भी इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी है। हालांकि इसका वीडियो जरूर शहर में वायरल हो गया है।

नवा छत्तीसगढ़ के 36 माहः शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजनाः 60 वनवासियों को 87 लाख रूपए की सहायता

कोरबा। राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को अनुदान सहायता राशि दिलाने के लिए लागू शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से कोरबा जिले के वनवासी भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के मुखिया के आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत अब तक कोरबा जिले के 60 हितग्राही परिवारों को 87 लाख 20 हजार

रूपए की अनुदान सहायता राशि दिए जा चुके हैं। वनमण्डल कोरबा अंतर्गत 36 हितग्राही परिवारों को 57 लाख रूपए एवं वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत 24 हितग्राही परिवारों को 30 लाख 20 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है। योजना के लागू होने से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को तेंदूपत्ता संग्रहण के साथ सामाजिक सुरक्षा सहायता राशि का भी लाभ मिल रहा है। यह योजना वन विभाग एवं लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही है। राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर को भी ढाई हजार रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर चार हजार रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है।

राज्य शासन द्वारा शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाए जाने के अलावा तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान दुर्घटना घटित हो जाने पर संग्राहक पीड़ित परिवार को अनुदान सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना अंतर्गत 50 वर्ष के कम आयु के संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को दो लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है।

झंडा विवादः आरोपी रिजवान को नोटिस 30 नवम्बर को जिला दंडाधिकारी को देना होगा जवाब

» संतोष जनक जवाब नही पाए जाने पर होगी जिला बदर की कारवाई

कवर्धा (आरएनएस)। जिला पुलिस अधीक्षक ने लोहारा नाका कवर्धा में झंडा विवाद के आरोपी रिजवान के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करने के लिए जिला दंडाधिकारी कबीरधाम को प्रतिवेदन पेश किया है।

पुलिस अधीक्षक के द्वारा पेश प्रतिवेदन में कहा गया है कि लोहारा नाका कवर्धा में डिवाइडर में लगे धार्मिक झंडा को निकाल देने पर दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। इससे नगर का शांतिपूर्ण माहौल खराब हुआ। इस मामले में आरोपी रिजवान के खिलाफ थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 801/2021, धारा 294, 323, 506 बी, 295, 147, 148, 149 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 802/2021 धारा 294, 336, 147 भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 804/2021 धारा 147, 353, 332, 294, 295, 427, 153ए भा.द.वि. धारा 03 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त घटना के पश्चात नगर में लोक शांति स्थापित करने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम के द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को धारा 144 लागू किया गया जो अभी भी लागू है। 3अक्टूबर को घटित घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा 5 अक्टूबर को कवर्धा शहर मे धरना प्रदर्शन, चक्काजाम कर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कबीरधाम के आदेश का उलंघन कर नगर के विभिन्न मोहल्ले में जाकर संप्रदायिक नारे बाजी कर एक समुदाय विशेष के घरों में, दुकानों एवं वाहनों में तोड़-फोड़ कर तथा शासकीय संपति को तोड़-फोड़ कर सांप्रदायिक दंगा किया गया। उक्त घटना के बाद से ही अलग-अलग समुदाय के मध्य सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन पेश करने पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने आरोपी रिजवान को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी रिजवान को जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2021 को दो समुदाय के बीच हुए विवाद में रिजवान का मुख्य योगदान रहा है। इसलिए उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बदर किए जाने के लिए प्रतिवेदन पेश किया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने आरोपी रिजवान को नोटिस जारी कर उपरोक्त नोटिस का जवाब उनके न्यायालय मे उपस्थित होकर पेशी 30 नवम्बर को प्रस्तुत करने कहा है। अनुपस्थिति की दशा में तथा जवाब संतोषजनक नहीं होने पर जिला बदर के प्रकरण में कार्यवाही कर दी जाएगी।

भूधसान से प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत

कोरबा। बल्गी भूमिगत खदान के भूधसान से प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। एसईसीएल प्रबंधन ने 26 किसानों के लिए 7.19 लाख रुपये की स्वीकृत कर जारी कर दी है।

साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड ;एसईसीएलद्ध कोरबा क्षेत्र की बल्गी भूमिगत परियोजना में डिपलरिंग कार्य की वजह से उपरी हिस्से की जमीन धसक गई थी। किसानों के खेत में बड़े. बड़े गड्ढे हो गए थे। इससे फसल लेना मुश्किल हो गया था। खेती किसानी में हो रहे नुकसान की वजह से किसानों ने एसईसीएल प्रबंधन से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की मांग की थीए किंतु राशि नहीं देने पर किसान सभा व मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी के साथ एसईसीएल कोरबा क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया था। इस पर प्रबंधन ने सकारात्मक पहल करते हुए जल्द ही राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय से भू.धसान के प्रभावित 26 किसानों के लिए साथ 19 हजार 680 रुपये स्वीकृत कर कोरबा कार्यालय भेजा जा चुका है।

कैंपस चलो यात्रा अभियान का शुभारंभ

कोरबा। कांग्रेस संगठन के एनएसयूआई द्वारा पूरे प्रदेश में कैंपस चलो यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। टीपी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित होकर संगठन के पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा विरोधी नीतिए कॉलेजों का निजीकरणए नई शिक्षा नीति के विरोध में देशभर में कैंपस चलो यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। कोरबा में अधिक से अधिक छात्रों को इस अभियान से जोड़कर अभियान को सफल बनाने कहा गया। कोरबा प्रभारी लक्की मिश्रा ने इस अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। वहीं पूर्व प्रदेश सचिव राकेश पंकज ने छात्रों को बताया कि इस अभियान से क्यों जुड़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, सुरेंद्र प्रताप जायसवाल, इंटक अध्यक्ष विकास सिंह, सभापति श्याम सुंदर सोनी, संतोष राठौर, बीएन सिंह, अवधेश सिंह, युवा नेता अमरजीत सिंह, एनएसयूआइ के पदाधिकारी सुनील निर्मलकर, सुजित बर्मन, मनीष आदित्य, विशाल राजपूत, शरद साहू, वसिम अकरम, लक्की खुटे, रजनी भारती, संजना मसीह, दिवाकर राजपूत, जुनैद मेमन, तमन्ना श्रीवास, आरती गोस्वामी, शिवा राठौर, मोहन चौहान, अजय जायसवाल सहित भारी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कोरोना- घर घर टीका महाभियान बुधवार से

कोरबा। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या कम होते ही वैक्सीनेशन को लेकर लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3.52 लाख लोग पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज लगवाने नहीं पहुंचे। प्रशासन अब बुधवार से बचे हुए लोगों के घर टीका लगाने का महाभियान शुरू करने जा रही। दूसरा डोज नहीं लेने वाले ज्यादातर लोग बहानेबाजी कर रहे। कोई अस्वस्थ होते तो कोई खेती काम में व्यस्त होने का हवाला दे रहे।

कोरोना संक्रमण से जिला अभी भी मुक्त नही हुआ है। 27 मरीज अब भी सक्रिय हैं। संक्रमित मरीजो में पांच इएसआइसी अस्पताल में दाखिल हैं शेष 22 मरीज होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में भले ही कमी आ चुकी हैए लेकिन जिला अभी भी पूरी तरह मुक्त होने से दूर है। कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक जिले में 54589 लोग संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं, इनमे 53479 स्वस्थ्य हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 883 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले के पांचों ब्लाक के संक्रमण पर गौर किया जाए तो कोरबा में 11 और कटघोरा में 13 सक्रिय मरीज अभी भी शेष हैं। संक्रमित मरीजों में पांच कोरोना इएसआइसी अस्पताल में दाखिल हैं, जिनमें दो को आक्सीजन बेड में रखा गया है। टीकाकारण अभियान शुरू होने के बावजूद कोरोना के गंभीर मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में अब तक 3.32 लाख लोगों को टीके का दोनों डोज लग चुका है। 18 से अधिक आयु वर्ग के 6.84 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला डोज लगवाया है। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी पुष्पेश कुमार की माने तो जिले में 9.82 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। 2.19 लाख लोग अभी भी टीका से दूर हैं। टीकाकरण अभियान गति नहीं आने के कारण संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। जिले में प्रति सप्ताह औसतन तीन मरीज पाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी की माने तो प्रति दिन 300 लोगों का कोरोना जांच हो रहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तरुणा श्रीवास्तव (अधिवक्ता, मानवीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु.सी.बी.वर्मा, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर ने इस संघ का गठन किया है। इस संघ के प्राप्त मान्यता के अनुसार प्रत्येक न्याय से सम्बंधित मामलों में संघ के सदस्यों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। इस संघ की कार्य प्रणाली शासकीय, कानूनी एवं सामाजिक मुद्दों पर कार्य करेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ सदस्यता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में बताया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु प्रयास किया जायेगा।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन एवं पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता करेगा।
- संघ सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किया जायेगा, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल निवासियों पर होने वाले विकृतियों के समापन में कार्यक्रम भी आयोजित करवाया।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU